

प्रेस नोट
थाना नवाबाद, जनपद झांसी

दिनांक 20.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- फर्जी एकाउण्ट खुलवाकर साइबर ठगी कर रुपया हड़पने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 19/07/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद की साइबर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सौरभ पटवा पुत्र तिज्जू पटवा निवासी ग्राम बदनपुर थाना दूरसडा जिला दतिया म0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 391/26 धारा 49/317(5)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक **19.07.2026** को थाना नवाबाद की साइबर टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर इलाइट चौराहा स्थित स्टेट बैंक एटीएम के पास से अभियुक्त **सौरभ पटवा** निवासी ग्राम बदनपुर, थाना दूरसडा, जिला दतिया (म.प्र.) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **₹5,300 नगद, 07 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन, 03 सिम कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड एवं 01 निर्वाचन कार्ड** बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्त ने गरीब व्यक्तियों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों को बेचने तथा साइबर ठगी की धनराशि का लेन-देन कराने की बात स्वीकार की। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर थाना नवाबाद पर **मु0अ0सं0 391/2026, धारा 49/317(5)/318(4) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

नाम पता अभियुक्त –

सौरभ पटवा पुत्र तिज्जू पटवा निवासी ग्राम बदनपुर थाना दूरसडा जिला दतिया म0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष (गिरफ्तार)

बरामदगी का विवरण –

- 07 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड
- 01 आधार कार्ड संख्या 867811521020
- 01 वोटर आईडी संख्या XVC1680818

- 01 पैन कार्ड संख्या HKKPP8065H
- 03 सिम कार्ड
- 01 मोबाइल फोन गूगल पिक्सल
- 5300/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र०नि० श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झांसी
2. उ०नि० श्री नवीन सिंह थाना नवाबाद जिला झांसी
3. रि०का० आकाश कुमार कनौजिया